छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 159 प्रकरण क्रमांक –**SM-EXP-2024-02294**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''राजरिया इन्डस्ट्रीयल इक्यूपमेंट प्रा.लि.'', प्रमोटर– राजगरिया इन्डस्ट्रीयल इक्यूपमेंट प्रा.लि. द्वारा–श्री गुरूचरण सिंह होरा, पता– 40, वेस्टर्न स्ट्रीट, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)

प्रोजेक्ट–''राजरिया इन्डस्ट्रीयल इक्यूपमेंट प्रा.लि.'' इंदिरा गांधी वार्ड नं.–20, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
28/02/2025	– प्रकरण प्रस्तुत। – रजिस्ट्रार, छ..ग द्वारा प्रतिवेदन दिनाँक 22.11.2023 के अनुसार यह पाया गया है कि भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा–5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट ''राजरिया इन्डस्ट्रियल इक्यूपमेंट प्रा.लि.'' पता–इंदिरा गांधी वार्ड नं.–20, जिला–रायपुर (छ.ग.) छ.ग. रेरा में पंजीयन क्रमांक–**PCGRERA040919001033** के रूप में दिनाँक 04.09.2019 से पंजीकृत कराया गया है। उक्त प्रोजेक्ट की रेरा पंजीयन की वैधता दिनाँक 31.12.2019 को समाप्त हो चुकी है। प्रमोटर द्वारा उक्त प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–3 अनुसार प्रोजेक्ट अवैध प्रोजेक्ट की श्रेणी में आ चुका है। उक्त कृत्य भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–3 के उपबंधों का उल्लंघन है, जिसके लिये अधिनियम की धारा–59 के अधीन प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत तक शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है। संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के उक्त प्रावधानों का अवहेलना व उल्लंघन करते हुये उक्त प्रोजेक्ट की वैधता समाप्त होने के बावजूद प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र नियमानुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरूद्ध दिनाँक 04.03.2024 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। – प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट पंजीयन की वैधता दिनाँक 31.12.2019 को समाप्त हो गयी है। अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट के विस्तारण के लिये प्राधिकरण के समक्ष दिनाँक 25.09.2024 को आवेदन मय दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया जाता है।	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 159 प्रकरण क्रमांक –**SM-EXP-2024-02294**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''राजरिया इन्डस्ट्रीयल इक्यूपमेंट प्रा.लि.'', प्रमोटर– राजगरिया इन्डस्ट्रीयल इक्यूपमेंट प्रा.लि. द्वारा–श्री गुरूचरण सिंह होरा, पता– 40, वेस्टर्न स्ट्रीट, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)

प्रोजेक्ट–''राजरिया इन्डस्ट्रीयल इक्यूपमेंट प्रा.लि.'' इंदिरा गांधी वार्ड नं.–20, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	– आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही/– (धनंजय देवांगन) सदस्य सही/– (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	